छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय : **मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की संक्षेपिका पर अभिमत।**

--00--

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की संक्षेपिका पर माननीय भारसाधक मंत्रीजी (माननीय मुख्यमंत्रीजी) से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्तानुसार संलग्न संक्षेपिका पर विभागीय अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे कि संक्षेपिका मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

23/2

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास
विभाग

प्रमुख सचिव
नगरीय आवास एवं विकास विभाग

जावक क्र. 383 प्रमुस
दिनांक 23-02-23

क्र. 543/ग.न./न.वि.आ.वि./20
दिनांक (IN) 24-02-2023
दिनांक (OUT)........

अनुक्रमांक गोपनीय

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-एफ /2023/50- भोपाल दिनांक..........

:: मंत्रि-परिषद के लिये संक्षेपिका:

विषय: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की स्वीकृति हेतु।

--00--

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है:-

1.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर है।

1.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।

1.3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट ''भारत में महिला एवं पुरूष वर्ष 2020'' अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे

श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।

उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका और सुदृढ़ की जानी है।

2/ इसके लिये विभाग द्वारा **"मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023"** बनायी गयी है जो **परिशिष्ट-क** पर संलग्न है।

3/ **योजना का स्वरूप एवं हितग्राहियों की अनुमानित संख्या -** वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत महिला हितग्राहियों की संख्या लगभग एक करोड़ होने का अनुमान है।

3.1 **योजना अंतर्गत पात्रता -**

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी, ऐसी विवाहित महिला (जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हैं) जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होगी।

3.2 योजना अंतर्गत अपात्रता -

मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो/आयकरदाता हो/ शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी/ संविदाकर्मी हो/ सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों/ वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हों/ भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य

हो। स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो/ संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो/ पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।

योजना के अंतर्गत पात्रता एवं अपात्रता **परिशिष्ट-क** में विस्तृत रूप से उल्लेखित है।

4/ योजना अंतर्गत सहायता -

4.1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

4.2. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

5/ योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया -

योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रोप्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैम्प लगाये जायेंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी दवारा ऑनलाइन

प्रविष्ट कराया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही **"आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र"** भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अनंतिम सूचीयों का प्रकाशन, आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची जारी किये जाने के सम्बंध में विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-क** में उल्लेखित किया गया है।

6/ हितग्राही को राशि का भुगतान -

पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7/ बजट -

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित हितग्राही संख्या एक करोड़ के मान से

प्रतिमाह व्यय 1000 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना के वृहद स्वरूप को देखते हुये एमपीएसइडीसी एवं संचालनालय स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की पीएमयू गठित की जोयगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुषांगिक व्यय को समाहित करते हुये एवं हितग्राहियों की क्रमिक वृद्धि अनुसार आगामी 5 वर्षों का आंकलन किया गया है जो 61890.84 करोड़ है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-ख** में उल्लेखित है।

योजना हेतु पृथक से राज्य स्तर पर एक बैंक खाता खोला जाना प्रस्तावित है। योजना क्रियान्वयन हेतु राशि का अग्रिम आहरण भी किया जाना प्रस्तावित है।

8/ **प्रस्तावित समयसीमा-** योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा निम्नानुसार प्रस्तावित है -

क्र	गतिविधियां	समयसीमा
1.	योजना का शुभारंभ	5 मार्च 2023
2.	आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ	15 मार्च 2023
3.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2023
4.	अनंतिम सूची जारी दिनांक	1 मई 2023
5.	अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि	1 मई से 15 मई 2023 तक
6.	आपत्तिं निराकरण हेतु अवधि	16 मई से 30 मई 2023 तक
7.	अंतिम सूची जारी करने का दिनांक	31 मई 2023
8.	राशि अंतरण का दिनांक	10 जून 2023 तक
9	आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि	प्रत्येक माह की 10 तारीख को

9/ अपेक्षित परिणाम- योजना के निम्नानुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे -

9.1 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे प्राप्त राशि से स्वयं के पोषण पर विशेष ध्यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्तर में भी सुधार होगा।

9.2 महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।

9.3 महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ होगी।

9.4 महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं एवं स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

10/ नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन:-

योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

11/ संक्षेपिका पर भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

12/ **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिमत** - --

13/ **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अभिमत** - --

14/ संक्षेपिका पर वित्त विभाग का अभिमत निम्नानुसार है:- - ---

15/ विभागीय अभिमत- वित्त विभाग द्वारा अंकित की गयी पृच्छाओं पर बिन्दुवार विभागीय अभिमत निम्नानुसार है –

16/ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का अनुमोदन के लिए मंत्रि-परिषद का आदेश प्रार्थित है।

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

//मंत्रि-परिषद आदेश का प्रारूप//

विभागीय प्रस्ताव अनुसार योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक बैंक खाता खोलने एवं आर्थिक सहायता हेतु अग्रिम आहरण की अनुमति के साथ निर्णय लिया गया कि संक्षेपिका के **परिशिष्ट-क** में संलग्न **मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023** की स्वीकृति दी जाये।

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

// प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप //

राज्य मंत्री परिषद द्‌वारा आज दिनांक-------------------------------को निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन दिया गया:

प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश में महिलाओं के स्वालम्बन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश शासन द्‌वारा "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023" लागू की जा रही है जो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे परिवार स्तर पर महिलाओं के निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका होगी।

योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की 23 से 60 वर्ष के मध्य की विवाहित महिला को लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

योजना अंतर्गत समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाईन प्राप्त किये जायेगे इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र" देता है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर की जायेगी। योजना में समयसीमा में स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जायेगी।

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

अजय कटेसारिया
उप सचिव
म.प्र. शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
Ph- 9425010769

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

1. भूमिका -

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है:-

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट "भारत में महिला एवं पुरूष वर्ष 2020" अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।

उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'' लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

2. परिभाषा -

2.1. परिवार समग्र आईडी - राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु जारी यूनिक आईडी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गयी है।

2.2. परिवार - परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।

2.3. स्थानीय निवासी- स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से है।

2.4. **आयकरदाता** -ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

2.5. **ई-केवायसी** - ई-केवायसी से तात्पर्य आधार में दर्ज जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन एवं बैंक खाते का आधार लिंक्ड एवं डीबीटी इनेबल्ड होने का ऑनलाइन सत्यापन।

2.6. **विवाहित महिला** - 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं।

2.7. **पोर्टल/ऐप** - योजना के संदर्भ में पोर्टल/ ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल/ मोबाईल ऐप्लीकेशन से है।

3. योजना अंतर्गत पात्रता -

ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होगी जो-

3.1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

3.2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

3.3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

4. योजना अंतर्गत अपात्रता -

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी -

4.1 जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

4.2 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।

4.3 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/

स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृतत्ति उपरांत पैंशन प्राप्त कर रहा हो।

परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

4.4 जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।

4.5 जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

4.6 जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

4.7 जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

4.8 जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहॉ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।

4.9 जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।

5. योजना का विस्तार-

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लागू होगी।

6. योजना अंतर्गत सहायता-

6.1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

6.2. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

7. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया-

7.1. आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

7.1.1 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र" भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

7.1.2. उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।

7.1.3. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

7.1.4. आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई

केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा:-

1. परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज
2. स्वयं की समग्र आई डी दस्तावेज
3. स्वयं का आधार कार्ड

7.2. **अनंतिम सूची का प्रकाशन**- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।

7.3. **आपत्तियों को प्राप्त किया जाना** -प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

7.4. **आपत्ति निराकरण समिति-** प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण **आपत्ति निराकरण समिति** द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -

क- **ग्राम पंचायत क्षेत्र की** प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब

तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

ख- **नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की** प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

ग- **नगर निगम क्षेत्र की** प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

7.5. **आपत्तियों की जॉच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना-** आवेदन पर आपत्ति की जॉच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का रेंडम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

7.6. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना -अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने सम्बंधी "स्वीकृति पत्र" जारी किया जायेगा।

7.7. हितग्राही को राशि का भुगतान - पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7.8. नियमित परीक्षण एवं सत्यापन-

भविष्य में हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जॉच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जॉच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

8- निगरानी एवं समीक्षा-

8.1. राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी:- राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में "विशिष्ट तकनीकि परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ" (STPMU) का पृथक से नियोजन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा।

8.2. जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

8.3. निर्देशों का जारी किया जाना - योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये जाऐंगे।

9- बजट -

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।

10- नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन-

योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के

मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

11- अपेक्षित परिणाम-

योजना के निम्नानुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे-

1- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे प्राप्त राशि से स्वयं के पोषण पर विशेष ध्यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्तर में भी सुधार होगा।

2- महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।

3- महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ होगी।

4- महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं एवं स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

12- योजना का मूल्यांकन -

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था से कराया जायेगा।

*****

परियोजना अभिलेख का प्रारूप

योजना/ परियोजना का नाम - मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

1.	कार्यक्रम की रुपरेखा/पृष्ठभूमि .	माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023'' लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। वस्तुत:यह योजना प्रदेश में महिलाओं के स्वालम्बन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ करने के उददेश्य से प्रारंभ की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।
1.1	कार्यक्रम का नाम	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023
1.2	कार्यक्रम की प्रस्तावित लागत	कार्यक्रम की आगामी 5 वर्षों में प्रस्तावित लागत परिशिष्ट- ख पर संलग्न हैं। आगामी 5 वर्षों में समस्त लागत 61890:84 करोड रूपये होगी। अनावर्ती लागत आगामी 5 वर्ष - निरंक आवर्ती लागत आगामी 5 वर्ष- 61890.84 करोड़ रूपये
1.3	कार्यक्रम की प्रस्तावित समयसीमा	योजना निरंतर प्रकृति की है एवं योजना की समयसीमा निर्धारित नहीं है।
1.4	कार्यक्रम का स्वरुप	राज्य सहायित योजना
1.5	राज्य सहायित कार्यक्रम हेतु उप कार्यक्रम/अवयव /घटक (यदि	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 शत-प्रतिशत राज्य सहायित योजना है, जिसमें आदिवासी उप योजना घटक (TSP-102) एवं अनुसूचित जाति उप योजना

	कोई है)] का उल्लेख। केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम हेतु केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा (अगर कोई हो)] तो उल्लेख	घटक (SSP-103) सम्मिलित है।
1.6	क्या नवीन कार्यक्रम है या निरंतर? निरंतर कार्यक्रम की स्थिति में क्या पूर्व कार्यक्रम के मुख्य निष्कर्ष	नवीन कार्यक्रम है
1.7	कार्यक्रम से सम्बन्धित अवधारण पत्र या विस्तृत पत्र तैयार किया गया है? यदि हॉ, तो कृपया संलग्न करें।	जी हॉ। जानकारी परिशिष्ट-क पर संलग्न है।
1.8	वर्तमान में संचालित योजना/ उप योजना को समाप्त, विलय या संशोधित किया जा रहा है तब उसका विवरण	निरंक
1.9	क्या संचालित योजना/ उपयोजना की तत्सद्दश योजना है अगर हॉ तो दोहरा एवं संसाधनों के क्षय को रोकने के प्रयासों की जानकारी	निरंक
1.10	अम्बरेला योजना की स्थिति में योजना/उपयोजना का विस्तृत विवरण एवं प्रस्तावित व्यय का आंकलन अवयव वार उपलब्ध करावें।	निरंक

<table>
<tr><td>2.</td><td>परिणाम एवं परिदेय</td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>कार्यक्रम अवधि कार्य के विभिन्न स्तर एवं वर्षवार निवेशित की जाने वाली राशि</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 (राशि लाख में)</th></tr>
<tr><th>वर्ष</th><th>सामान्य
(101)</th><th>आदिवासी उप योजना घटक (TSP-102)</th><th>अनुसूचित जाति उप योजना घटक (SSP-103)</th><th>कुल योग(राशि लाख में)</th></tr>
<tr><td>2023–24</td><td>620150.80</td><td>233827.35</td><td>162662.50</td><td>1016640.65</td></tr>
<tr><td>2024–25</td><td>754027.71</td><td>284305.53</td><td>197777.76</td><td>1236111.00</td></tr>
<tr><td>2025–26</td><td>776719.71</td><td>292861.53</td><td>203729.76</td><td>1273311.00</td></tr>
<tr><td>2026–27</td><td>800143.71</td><td>301693.53</td><td>209873.76</td><td>1311711.00</td></tr>
<tr><td>2027–28</td><td>824299.71</td><td>310801.53</td><td>216209.76</td><td>1351311.00</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>3775341.64</td><td>1423489.47</td><td>990253.54</td><td>6189084.65</td></tr>
</table>
टीप-
1. आदिवासी उप योजना घटक अंतर्गत आगामी तीन वर्षो में निवेशित की जाने वाली राशि की गणना योजना प्रारंभ से वर्तमान तक कुल आदिवासी हितग्राहियों के प्रतिशत की आधार पर की गई है।
2. अनुसूचित जाति उप योजना घटक अंतर्गत आगामी तीन वर्षो में निवेशित की जाने वाली राशि की गणना योजना प्रारंभ से वर्तमान तक कुल अनुसूचित जाति हितग्राहियों के प्रतिशत की आधार पर की गई है।
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>योजना के परिणाम के आंकलन से संबंधित, सूचकांक, जिनके आधार पर कार्यक्रम का सामयिक मूल्यांकन किया जा सके। आधारभूत तथ्यांक अथवा सर्वेक्षण जिसके आधार पर प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जा सके।</td><td>राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट ''भारत में महिला एवं पुरूष वर्ष 2020'' अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम</td></tr>
</table>

		बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है। उक्त सूचकांकों के आधार पर ही प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
2.3	शासन शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं/उप योजनाओं, जिनकी उपलब्धि उल्लेखनीय रही है तथा प्रस्तावित योजना के समरुप है। ऐसी योजनाओं के मध्य सहक्रियात्मकता के प्रयास जिससे समेकित परिणाम प्राप्त हो सकें तथा लोक संसाधनों की बचत हो सके का विवरण भी अंकित करें।	कोई समरूप योजना संचालित नहीं।
3	लक्षित लाभार्थी	
3.1	क्या यह योजना किसी विशिष्ट स्थान, क्षेत्र जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग हेतु संचालित है । लाभार्थियों के चयन का आधार।	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 किसी विशिष्ट स्थान, क्षेत्र जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग हेतु प्रस्तावित नहीं है। योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू की जा रही है। लाभार्थियों के चयन का आधार योजना अंतर्गत उल्लेखित पात्रता एवं अपात्रता के आधार पर किया गया है जो योजना परिशिष्ट-क में उल्लेखित है।
3.2	योजना अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजातिअल्पसंख्य एवं दिव्यांग / तथा अन्य लाभर्थियों के लिये किये गये विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख	नहीं।
3.3	क्या योजना में जेण्डर समानता हेतु प्रावधान है, महिला कल्याण के प्रावधानों का उल्लेख	हॉ।

3.4	यदि योजना हितग्राही मूलक है तो संभावित हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया का विवरण। हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया को "आधार" पहचान के साथ सहलग्नता का विवरण।	योजना हितग्राही मूलक है एवं योजना अंतर्गत हितग्राही की चयन प्रक्रिया को आधार पहचान पत्र के साथ ही जोडा गया है तथा राशि का अंतरण भी हितग्राही के आधार इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।
4	लागत विश्लेषण	
4.1	कार्यक्रम की लागत प्राक्कलन जिसमें आवर्तीअनावर्ती लागत की / कुल राशि तथावर्षवार व्यय का विवरण।	योजना की आवर्ती/अनावर्ती लागत एवं वर्षवार व्यय का प्राक्कलन अनुमान परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।
4.2	योजना की लागत के अनुमान का आधार	योजना में लागत का अनुमान जनगणना 2011 के आधार पर 2021 में प्रोजेक्टेड महिला जनसंख्या एवं लाभार्थियों के चयन का आधार योजना अंतर्गत उल्लेखित पात्रता एवं अपात्रता के आधार पर किया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख नवीन हितग्राही जोडे जाने का भी योजना अंतर्गत् अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्षवार हितग्राहियों का आंकलन परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।
4.3	योजना में देय राज्य सहायता का वर्षवार, मदवार विवरण।	योजना अंतर्गत 100 प्रतिशत राशि राज्य मद से व्यय की जायेगी। (वर्षवार, मदवार विवरण परिशिष्ट-ख में संलग्न है।)
5	योजना का वित्त पोषण	
5.1	योजना के लिए वित्त पोषण के स्त्रोतों का उल्लेख करें बजट सहायता, बजट के अतिरिक्त स्त्रोत, बाहय सहायता, राज्य हिस्सा आदि (सार्वजनिक उपक्रम एवं स्थानीय निकायों के मामले में)	येाजना अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि 100 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य पद से बजट में प्रावधानित की जायेगी।

5.2	वित्त पोषण में भारत सरकार का अंश, राज्य सरकार का अंश, स्थानीय निकायों का अंश हितग्राही अंश या निजी भागीदारी अंश	योजनान्तर्गत 100 प्रतिशत राशि राज्यांश की होगी ।
6	मानव संसाधन	
6.1	अगर जनशक्ति नियोजन आवश्यक है तो पदों का (अस्थाई/स्थाई) विवरण पृथक से सामान्य प्रशासन वित्त विभाग को भेजा जावे। (यह प्रस्ताव मूल योजना प्रस्ताव अनुमोदन के उपरांत ही भेजा जावे)	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनान्तर्गत अस्थायी रूप से नियोजित किये जाने वाले मानव संसाधन की जानकारी परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।
7	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	
7.1	योजना की उददेश्यों की वास्तविक परिणाम के आंकलन के तरीके, सामाजिक अंकेक्षण एवं प्राविधिक अंकेक्षण का विस्तृत विवरण।	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 को सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उन्नयन किया गया है, जिसमें नवीन साफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है जिसमें हितग्राही सीधे अपने आवेदन ऑनलाईन कर सकता है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से योजना में पंजीकृत प्रत्येक हितग्राही का विवरण ऑनलाईन देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर समिति द्वारा चयनित हितग्राहियों की सूची ऐप एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था से कराया गया। इसके अतिरिक्त बाहरी एजेन्सी से समय-समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है। योजना का अंकेक्षण आवश्यकतानुसार विभागीय अंकेक्षण दल, कोष एवं लेखा तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।
7.2	योजना में स्वतंत्र पक्ष/ निष्पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था का उल्लेख करें (यह मूल्यांकन योजना को	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के कार्य की दक्षता का स्वतंत्र पक्ष/ निष्पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण

	करें (यह मूल्यांकन योजना को आगे की अवधि में निरंतर रखने के परीक्षण हेतु आवश्यक है।)	संस्था अथवा अतिरिक्त बाहरी एजेन्सी से समय-समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है। एमआईएस द्वारा भौतिक एवं वित्तीय मॉनिटरिंग हेतु कार्यवाही की जावेगी।
8	परियोजना स्वीकृति हेतु अनुशंसा	अनुशंसा की जाती है।
क	वित्तीय सलाहकार	पी.के.सिंह
ख	आयुक्त, संचालनालय महिला एंव बाल विकास	डॉ. राम राव भोंसले
ग	विभागीय प्रमुख सचिव	दीपाली रस्तोगी

(डॉ विशाल नाडकर्णी)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

(पी.के. सिंह)
अपर संचालक (वित्त)
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

(डॉ राम राव भोंसले)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023

परिशिष्ट- ख

आवर्ती अनावर्ती व्यय आगामी 5 वर्षों के लिये (राशि लाख में)

क्र.	व्यय शीर्ष	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	कुल
1	हितग्राही अनुदान	1000000.00	1236000.00	1273200.00	1311600.00	1351200.00	6172000.00
2	राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलन	11000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11020.00
3	विज्ञापन (राज्य एवं जिला स्तर)	4000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4020.00
4	ग्रामीण क्षेत्र / शहरी निकायों के लिए प्रशासनिक व्यय	1340.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1344.65
5	क्लाउड शुल्क और हार्डवेयर (MPSEDC)/ सॉफ्टवेयर विकास, संचालन एवं रख रखाव (MPSEDC)/ संचालनालय म.बा.वि. में PMU	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
		1016640.65	1236111.00	1273311.00	1311711.00	1351311.00	6189084.65

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

परिशिष्ट- ग

Estimated Beneficiary and Probable Expenditure Year 2023-24 to 2027-28

Year	Beneficiary (Lakhs)	New Benificiary (Lakhs)	Total Benificiary (Lakhs)	Per Bene/Per Year	Expenditure per Year (Rs. in Lakhs)
2023-24	100.00	0.00	100.00	10000.00	1000000.00
2024-25	100.00	3.00	103.00	12000.00	1236000.00
2025-26	103.00	3.10	106.10	12000.00	1273200.00
2026-27	106.10	3.20	109.30	12000.00	1311600.00
2027-28	109.30	3.30	112.60	12000.00	1351200.00
Total	518.40	12.60	Total Expenditure		6172000.00

नोट - वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह जून 2023 से माह मार्च 2024 तक कुल 10 माह के लिए सहायक अनुदान राशि की गणना के आधार पर।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, 2023

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र

1. आवेदिका का समग्र आई डी ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. आधार नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. आवेदिका का नाम --

4. आवेदिका के पति / पिता का नाम --

5. जन्म दिनांक — दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

6. आवेदिका का पता ------------ ग्राम /शहर ---------- जिला : --------- पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

7. आवेदिका का मोबाइल ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8. वर्ग (✓ लगाये) सामान्य ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐

9. क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे है ? (✓ लगाये) हाँ ☐ नहीं ☐

10. विवाह की स्थिति (✓ लगाये) : विवाहित ☐ तलाकशुदा ☐ विधवा ☐ परित्यक्ता ☐

आवेदक द्वारा की गई घोषणा

- मै घोषणा करती हूँ कि (✓ लगाये) :
  - ☐ मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। ☐ मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हूँ/है।
  - ☐ मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र / राज्य सरकार के शासकीय विभाग /मंडल/उपक्रम / स्थानीय निकाय में नियमित / संविदा कर्मी / स्थाई कर्मी में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृति के पश्चात् पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे है।
  - ☐ मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर नहीं हैं। ☐ मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
  - ☐ मुझे भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रही है।
  - ☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि (पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर) नहीं है।
  - ☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा चयनित / मनोनीत, बोर्ड / निगम / मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष / संचालक / सदस्य नहीं है।
- मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करती हूं कि मुझे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल/एप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मै यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूं।

(आवेदिका का हस्ताक्षर)

नोट : -

1. उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है।
2. ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जायेगी तथा आपको SMS/ व्हाट्स एप से भी भेजी जायेगी।

------------- ✂ ------------- आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात् पावती फाड़ कर दी जाये ------------- ✂ -------------

कार्यालयीन उपयोग हेतु
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023
आवेदन पत्र – पावती

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है।

1. आपका ऑनलाइन पंजीयन क्र. .... एवं आवेदन दिनांक : ....../....../............
2. आवेदिका का नाम ---------------- 3. पति / पिता का नाम --------------- है।
4. आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई -
   - आपका समग्र e-KYC पूर्ण है हाँ ☐ नहीं ☐ (नहीं होने की स्थिति में e-KYC पूर्ण कराये)
   - आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है हाँ ☐ नहीं ☐ (नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराये)
   - आपका बैंक अकाउंट DBT Enable है हाँ ☐ नहीं ☐ (नहीं होने पर अपनी बैंक शाखा में जाकर डी.बी.टी. इनेबल कराये)

उक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं पात्रता होने पर ही आपको राशि प्राप्त होगी।

☐ योजना की पात्रता की मुख्य शर्तें पूर्ण न किये जाने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है।

नोट :- यह मात्र आवेदन की पावती है | आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।
योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 एवं वेबसाइट www.cmladlibahna.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।